



विद्युत परीक्षण खण्ड, उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अल्मोड़ा

मीटर सीलिंग प्रमाण-पत्र (वित्तीय वर्ष 2009-2010-11 के लिए वैध)

19

पुस्तक सं० 317 (नया/चैक/प्रतिस्थापन) क्रम सं०
 उपभोक्ता का नाम श्री/श्रीमती Sankar Devi पति/पति का नाम श्री Rachha Raman
 पता Syalde
 विद्युत वितरण खण्ड/उपखण्डK.No./CIN No.....
 33/11 के.वी. विद्युत उपसंस्थान Syalde स्वीकृत भार 1 KW टैरिफ..... कनेक्शन नं० 048839
 विद्युत वितरण उपखण्ड/खण्ड Mausi का इन्डेन्ट सं०..... दिनांक 10-3-09

	पुराना मीटर	नया मीटर/चैक मीटर	टिप्पणी			
1. मीटर नं० <u>RE 3912</u>			दिनांक <u>10-3-09</u>			
2. मीटर मेक						
3. लेब का नम्बर						
4. मीटर का प्रकार						
5. मीटर की क्षमता						
(सिंगल फेज/थ्री फेज/CTConnected)						
6. सीटी0 क्षमता			1. मीटर बदलने/लगाने का दि० 2. मीटर निर्गत करने वाले अवर अभियन्ता का नाम : 3. मीटर प्राप्त करने की तिथि : <u>7-3-09</u> 4. सीलिंग बुक निर्गत करने की तिथि : <u>10-3-09</u>			
7. गुणांक						
8. रीडिंग	KWh					
	KVArh					
	KVAH					
	KVA					
9. बॉडी सील	लेजर					
	पेपर/स्टीकर					
	अन्य सील					
10. टर्मिनल प्लेट लेजर	लेजर					
	पेपर/स्टीकर					
	अन्य सील					
11. सी.टी बॉक्स	लेजर		TOD	KWh	KVAH	KVA
	पेपर/स्टीकर		SLOT			
	लॉक नं०		1C			
	अन्य सील		2C			
			3C			

नोट - 25 KW से ऊपर विद्युत भार वाले उपभोक्ता के परिसर में CT युक्त मीटर ही स्थापित करें।

महत्वपूर्ण निर्देश

- मीटर बॉक्स व मीटर में कोई छेद नहीं छोड़ा, मीटर बॉक्स और टर्मिनल प्लेट पर सीले लगाई हैं, जो कि ठीक प्रकार लगी है एवं मीटरिंग क्यूबिकल पूर्णतः पिल्कर प्रूफ है।
- यह कि मीटर पर सहायक अभियन्ता (परीक्षण) मीटर बाक्स टर्मिनल प्लेट पर मीटर परीक्षक की सीलों को अविभागीय व्यक्ति किसी भी कारणवश नहीं तोड़ेगा और न ही उनको खराब करेगा तथा सीलों की क्षति का दायित्व उपभोक्ता पर होगा।
- उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं के उल्लंघन पर उपभोक्ता भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 में वर्णित धारा के अनुसार नियमतः अर्थदण्ड भरेगा अथवा सक्षम न्यायालय द्वारा निर्धारित समयावधि की कारावास हो सकती है अथवा दोनो मीटर बॉक्स अथवा टर्मिनल प्लेट पर लगी सील केवल विभागीय सक्षम अधिकारी/अधिकारिक ही तोड़ सकता है जिसका प्रमाण पत्र उपभोक्ता को हस्ताक्षर कराकर सदैव सदैव प्राप्त कर लेना चाहिए। मीटर के विषय में परीक्षणशाला में मीटर का परीक्षण होने के पश्चात् परीक्षणशाला का निर्णय अन्तिम होगा। उपभोक्ता/उपभोक्ता के प्रतिनिधि ने सभी उपरोक्त बातें चैक की हैं व सील ठीक प्रकार लगी पायी है। इसकी एक प्रतिलिपि उपभोक्ता ने प्राप्त कर ली है।

उपभोक्ता के
के हस्ताक्षर

मीटर सील करने वाले टी.जी.11
जे.ई./अधिकृत कर्मी का नाम व हस्ताक्षर
K.M. Joshi

लाइन स्टाफ/अवर अभियन्ता
(वितरण) का नाम व हस्ताक्षर

A.S. ADHIKARI